

**2016 का विधेयक सं.10**

**डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन)  
विधेयक, 2016**

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम,  
2012 को निरसित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-  
मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम डा.  
भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) अधिनियम,  
2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. 2012 के अधिनियम सं. 30 का निरसन.-** डा. भीमराव  
अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 (2012 का  
अधिनियम सं. 30) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

---

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में के समस्त विधि महाविद्यालयों को एक ही विश्वविद्यालय से संबद्ध करने के उद्देश्य से, "डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 30)" द्वारा, जो राजपत्र में दिनांक 17.10.2012 को प्रकाशित हुआ था, डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना की गयी थी। जब नयी सरकार ने शपथ ग्रहण की, तब पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उनके कार्यकाल के अंतिम छह मास में लिये गये विनिश्चयों को पुनर्विलोकित करने के लिए एक मंत्रिमंडल उप-समिति गठित की गयी थी, जिसने डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को बन्द किये जाने की सिफारिश की थी।

यह मामला मंत्रिमंडल की 24.11.2015 को आयोजित बैठक में रखा गया था, जिसने डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को बन्द किये जाने का विनिश्चय किया क्योंकि विश्वविद्यालय को चालू रखने का कोई न्यायोचित्य नहीं है। इस बाबत मंत्रिमंडल आदेश सं. 205/2015 दिनांक 28.11.2015 जारी किया गया था। डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 में, विश्वविद्यालय को बन्द करने या इस अधिनियम को निरसित करने का कोई खण्ड नहीं है। विधान सभा में पुरःस्थापित किये जाने के लिए एक पृथक् विधेयक अपेक्षित है। इसलिए, राज्य सरकार ने उक्त निरसन विधेयक के प्रस्ताव का विनिश्चय किया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

कालीचरण सराफ  
प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

**Bill No. 10 of 2016**

**DR. BHIMRAO AMBEDKAR LAW UNIVERSITY, JAIPUR  
(REPEAL) BILL, 2016**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

*Bill*

*to repeal the Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur Act, 2012.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur (Repeal) Act, 2016.

(2) It shall come into force at once.

**2. Repeal of Rajasthan Act No. 30 of 2012.-** The Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur Act, 2012 (Act No. 30 of 2012) is hereby repealed.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With the objective of affiliating all law colleges in the State with one university, Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur, was set up by an Act called "Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur Act, 2012 (Act No. 30 of 2012)" which was published in the official gazette dated 17.10.2012. When the new government sworn-in, with a view to review the decisions taken by the previous Government in the last six months of their tenure, a Cabinet Sub-Committee was constituted, which recommended closing down the Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur.

The matter was placed before the Cabinet in the meeting held on 24.11.2015, which decided to close down the Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur as there is no justification of continuing the University. The cabinet orders No. 205/2015 dated 28.11.2015 was issued for this effect. Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur Act, 2012 does not have any clause for closing down the University or to repeal the Act. A separate Bill is as such required to be introduced in the Legislative Assembly. Therefore, the State Government has decided to propose the said repeal Bill.

The Bill seeks to achieve the aforesaid object.

Hence the Bill.

कालीचरण सराफ  
**Minister Incharge.**

2016 का विधेयक सं.10.

डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन)  
विधेयक, 2016

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

---

डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012  
को निरसित करने के लिए विधेयक।

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

---

पृथ्वी राज,  
विशिष्ट सचिव।

(कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री)

**Bill No. 10 of 2016**

**DR. BHIMRAO AMBEDKAR LAW UNIVERSITY, JAIPUR  
(REPEAL) BILL, 2016**

**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**



**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY**

---

A

*Bill*

*to repeal the Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur Act, 2012.*

---

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

**PRITHVI RAJ,  
Special Secretary.**

(Kali Charan Saraf, **Minister-Incharge**)